invest BIHAR
A land of immense opportunities

BIADA
BIHAR INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

DEPARTMENT OF INDUSTRIES
GOVERNMENT OF BIHAR

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025

मुफ़्त भूमि, अद्वितीय वित्तीय प्रोत्साहन

मुफ़्त भूमि

@ सिर्फ 1 रुपये टोकन राशि पर

100
करोड़ रुपये
निवेश और
1000 प्रत्यक्ष रोजगार पर
(10 एकड़ भूमि मुफ़्त)

या

1000
करोड़ रुपये
निवेश पर
(25 एकड़ भूमि मुफ़्त)

या

200
करोड़ रुपये का निवेश पर
(फ़ॉर्च्यून 500
कंपनियों द्वारा)
(10 एकड़ भूमि मुफ़्त)

और अन्य निवेशकों के लिए – BIADA भूमि दर पर 50% की छूट

वित्तीय प्रोत्साहन

#1 विकल्प

ब्याज अनुदान (अधिकतम 40 करोड़ रुपये तक) + एसजीएसटी प्रतिपूर्ति (100% तक)

क्षेत्र श्रेणी	ब्याज सबवेंशन		कर संबंधी प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति
उच्च प्राथमिकता	▪ 10% (सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए 12%)-5 वर्षों तक ▪ स्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 50% (₹40 करोड़ तक)	और	▪ 5 वर्षों तक 100 % प्रतिपूर्ति ▪ स्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 100%
प्राथमिकता	▪ 10% (सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए 12%)-5 वर्षों तक ▪ स्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 30% (₹20 करोड़ तक)		▪ 5 वर्षों तक 80 % प्रतिपूर्ति ▪ स्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 100%
गैर-प्राथमिकता	▪ 10% (सूक्ष्म और लघु इकाइयों के लिए 12%)-5 वर्षों तक ▪ स्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 15% (₹20 करोड़ तक)		▪ 5 वर्षों तक 80 % प्रतिपूर्ति ▪ स्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 70%

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTSME)
सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होंगे

#2 विकल्प

स्वीकृत परियोजना लागत का 100% नेट SGST प्रतिपूर्ति अधिकतम 14 वर्षों में 300% तक

विवरण		वृहत् (Large) (₹50 करोड़ से अधिक और ₹200 करोड़ तक)	मेगा (₹200 करोड़ से अधिक और ₹500 करोड़ तक)	सुपर मेगा (₹500 करोड़ से अधिक)
		उच्च प्राथमिकता/ प्राथमिकता/ गैर-प्राथमिकता	उच्च प्राथमिकता/ प्राथमिकता/ गैर-प्राथमिकता	उच्च प्राथमिकता/ प्राथमिकता/ गैर-प्राथमिकता
क्षेत्र A	कुल सीमा (स्वीकृत परियोजना लागत का%)	150%	250%	300%
	वार्षिक सीमा (स्वीकृत परियोजना लागत का%)	25%	25%	25%
क्षेत्र B	कुल सीमा (स्वीकृत परियोजना लागत का%)	125%	200%	250%
	वार्षिक सीमा (स्वीकृत परियोजना लागत का%)	20%	20%	20%
प्रतिपूर्ति की अवधि (वर्षों में)		10 वर्ष	12 वर्ष	14 वर्ष

#3
विकल्प

पूंजीगत सब्सिडी (स्वीकृत परियोजना लागत का 30% तक)

विवरण	वृहत् (Large) (₹50 करोड़ से अधिक और ₹200 करोड़ तक)			मेगा (₹200 करोड़ से अधिक और ₹500 करोड़ से कम)	सुपर मेगा (₹500 करोड़ और उससे अधिक)
	उच्च प्राथमिकता	प्राथमिकता	गैर-प्राथमिकता	उच्च प्राथमिकता/ प्राथमिकता / गैर-प्राथमिकता	उच्च प्राथमिकता / प्राथमिकता /गैर-प्राथमिकता
प्रोत्साहन (Incentive)	स्वीकृत परियोजना लागत का 30%	स्वीकृत परियोजना लागत का 25%	स्वीकृत परियोजना लागत का 20%	स्वीकृत परियोजना लागत का 22%	स्वीकृत परियोजना लागत का 25% (कोई अधिकतम सीमा नहीं)
क्षेत्र A (अधिकतम सीमा / Upper Cap)	₹40 करोड़	₹30 करोड़	₹25 करोड़	₹110 करोड़	
क्षेत्र B (अधिकतम सीमा / Upper Cap)	₹30 करोड़	₹25 करोड़	₹20 करोड़	₹100 करोड़	स्वीकृत परियोजना लागत का 22% (कोई अधिकतम सीमा नहीं)
प्रोत्साहन वितरण अवधि	10 वर्षों में 10 समान वार्षिक किस्तों में			12 वर्षों में 12 समान वार्षिक किस्तों में	14 वर्षों में 14 समान वार्षिक किस्तों में

प्रमुख प्रोत्साहन

- **रोज़गार सृजन प्रोत्साहन (Employment Generation Incentive):**
  वस्त्र इकाइयों के लिए – प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹5000 तक, ESI और EPF का 300%।
  अन्य के लिए – प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹2000 तक, ESI और EPF का 100%।
- **निर्यात प्रोत्साहन (Export Incentive):** 14 वर्षों तक (अधिकतम ₹40 लाख प्रति वर्ष)।
- **कौशल विकास प्रोत्साहन (Skill Development Incentive):** प्रति श्रमिक ₹20,000 तक।
- **पर्यावरण संरक्षण प्रोत्साहन (Environmental Protection Incentive):** 25% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹1 करोड़ तक।
- **नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग प्रोत्साहन (Renewable Energy Usage Incentive):** 20%, अधिकतम ₹6 लाख तक।
- **सीएफसी विकास प्रोत्साहन (CFC Development Incentives) : Case to case** आधार पर।
- **अन्य प्रोत्साहन (Other Incentives):** पेटेंट पंजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणन सहायता।

अन्य राज्य सरकार की नीतियों और भारत सरकार की
नीतियों के माध्यम से दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के लिए सामंजस्य की अनुमति है।

क्षेत्रीय विकास

औद्योगिक विकास को क्षेत्रीय आर्थिक संतुलन के साथ बढ़ावा देने के लिए जिलों को औद्योगीकरण के आधार पर क्षेत्र A और क्षेत्र B में वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्र A में उभरते औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, इनको निवेश आकर्षित करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए गए हैं।

क्रं.सं.	क्षेत्र	जिला
1	क्षेत्र B	बेगूसराय, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली
2	क्षेत्र A	बिहार के शेष 32 जिले

पैकेज का कवरेज

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र- फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और लेदर, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योगों के लिए प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, आईटी/आईटीईएस व ईएसडीएम, जीसीसी, इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्यूटिकल्स एवं मेडिकल डिवाइस, टॉय मैन्युफैक्चरिंग, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा (सीबीजी, ईंधन आधारित एथेनॉल, मेथेनॉल)।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र- ऑटोमोबाइल, छोटे मशीन उपकरण निर्माण, यांत्रिक उपकरण, एफएमसीजी (साबुन, डिटर्जेंट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आदि), प्लास्टिक एवं रबर, हेल्थकेयर और काष्ठ आधारित उद्योग।